दिनांक 20 एवं 28 फरवरी, 2017 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

सूडा के पत्रांक– 5306/110/तीन/97–VI दिनांक 15.02.2017 द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार जनपद– –शामली, मुज्जफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, लखीमपुर–खीरी, शाहजहॉपुर, बदायूँ तथा 5347/110/तीन/97–VI दिनांक 20.02.2017 द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार जनपद– फर्रूखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, रायबरेली, फतेहपुर के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों के साथ सूडा द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक का बिन्दुवार कार्यवृत्त निम्नवत् हैः–

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना

- बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि 31 मार्च, 2017 तक प्रत्येक दशा में सभी परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया जायें एवं जिन परियोजनाओं में आवास पूर्ण हो गये हैं, वहां पर तत्काल आवासों का आवंटन भी कर दिया जाये।
- सम्बन्धित पटल को निर्देश दिये गये जिन जनपदों से उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं उन जनपदों के जिलाधिकारियों को मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन की ओर से पत्र प्रेषित किया जाये।
- परियोजना अधिकारी, बागपत, मेरठ, शामली एवं बिजनौर द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था उ0प्र0रा0नि0नि0लि0 के परियोजना प्रबन्धक, द्वारा न तो दूरभाष पर सम्पर्क किया जा रहा है और न ही कार्य की अद्यतन प्रगति से अवगत कराया जा रहा है। इस पर कार्यक्रम अधिकारी, सूडा को सम्बन्धित को पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
- परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि यदि डूडा पर बीएसयूपी /आईएचएसडीपी योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है तो तत्काल अवमुक्त कर दें तथा आवासों को पूर्ण कराते हुये प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रांश की यूसी तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि पूर्ण हो चुकी परियोजना का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट एक सप्ताह में मुख्यालय को प्रेषित किया जाये।
- बी0एस0यू0पी0 योजनान्तर्गत जनपद–आगरा, मथुरा, मेरठ, कानपुर नगर, लखनऊ तथा आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद–अलीगढ़, बदायूँ, बरेली, बिजनौर, बुलन्दशहर, एटा, लखीमपुर, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, शामली, औरेया, बॉदा, चित्रकुट, इटावा, फरूखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, झॉसी, ललितपुर, कानपुर देहात, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, प्रतापगढ़, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि योजनान्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवशेष उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

राजीव आवास योजना

राजीव आवास योजनान्तर्गत संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि अपूर्ण परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में मार्च, 2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित् किया जाये। परियोजना अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र उपलब्ध कराये जिससे कि भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत यदि लाभार्थी नहीं मिल पा रहे हैं तो जनपद स्तरीय कमेटी की अनुमति लेकर धनराशि मुख्यालय को वापस कर दें।

(कार्यवाही–सूडा / संबंधित डूडा / कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना

- योजना की समीक्षा में कुल स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष कार्यदायी संस्था तथा परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि प्रगति में तेजी लाते हुए शीघ्र द्वितीय किश्त के प्रस्ताव एवं यू0सी0 प्रस्तुत किये जाय ताकि शासन से ससमय वित्तीय स्वीकृति निर्गत करायी जा सके।

- समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था को निर्देश दिये गये कि यदि मूल्यवृद्धि की कोई डी0पी0आर0 प्रस्तुत की जाती है तो उसमें उक्त मूल्यवृद्धि के औचित्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाये तथा समस्त सम्बन्धित अभिलेख अनिवार्य रूप से डी0पी0आर0 के साथ संलग्न किये जायें।

- कार्यदायी संस्था को आसरा योजना के सन्दर्भ में एक समीक्षात्मक टिप्पणी बना कर शासन के उपयोगार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये।

- यदि किसी स्वीकृत परियोजना में किसी विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नही हो पा रहा है तो उसकी स्वीकृत धनराशि यदि सम्भव हो तो नये प्रस्ताव में सम्मिलित कर प्रस्ताव भेजे अन्यथा धनराशि मुख्यालय को वापस कर दें।

(संबंधित डूडा / कार्यदायी संस्था)

ई–रिक्शा योजना

1. रिक्शा योजनान्तर्गत ऐसे सभी उपस्थित सम्बन्धित जनपदों को (जिनके प्रमाण पत्र का प्राप्त हो चुके है उनको छोड़कर) निर्देशित किया गया कि वे **ई–रिक्शा वितरण** से सम्बन्धित जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदन प्रमाण पत्र की सूचना निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह में सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. मा0 मुख्यमंत्री जी के 'मेगा कॉल सेंटर' परियोजना के अन्तर्गत चयनित विभाग की ई–रिक्शा योजना के लाभार्थियों से सम्बन्धित (पूर्व निर्गत फार्मेट के अनुरूप) विवरण प्रेषित न किए जाने वाले जिलों को निर्देश दिये गये कि तत्काल सूचना प्रेषित की जायें।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित डूडा)

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। खेद का विषय है कि जनपदों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। अभिकरण मुख्यालय पर अनापेक्षित प्रथम अपीलों के योजित होने के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर से यथा समय आवेदन पत्रों का निस्तारण न किये जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह निर्देशित किया कि जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्रों का यथा समय निस्तारण करें।

(कार्यवाही–जनसूचना अधिकारी / नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

अर्बन स्टेटिटिक्स फॉर एच आर एण्ड एसेस्मेंट्स (USHA)

उषा, स्लम सर्वे के अन्तर्गत जनपदों– बागपत, कासगंज, मेरठ, मुज्जफ्फरनगर, रामपुर, शाहजहांपुर, बांदा, इटावा, हमीरपुर, ललितपुर को निर्देशित किया गया कि इस योजना हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र तत्काल प्रेषित करें एवं अनुपयोग की स्थिति में धनराशि अभिकरण मुख्यालय को वापस करना सुनिश्चित करें।

आई0एल0सी0एस0

आई0एल0सी0एस0 योजनान्तर्गत पूर्व वर्षो में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र शीघ्र प्रेषित करने हेतु संबंधित 06 जनपदों –बरेली, बागपत, एटा, फरूर्खाबाद, मेरठ, रामपुर को निर्देशित किया गया और यदि आंकड़ो में कोई भिन्नता है तो मुख्यालय पर उपस्थित होकर आंकड़ो का मिलान कराने के निर्देश भी दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित सूडा / डूडा)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जनपद– बागपत, मथुरा, मेरठ, मुज्जफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, शाहजहांपुर, शामली, ओरैया, इटावा, फरूर्खाबाद, ललितपुर एवं सीतापुर के पास धनराशि अवशेष है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लंबित है, को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह में लेखा मिलान कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और यदि धनराशि व्यय नहीं हो पायी है तो उसे तत्काल मुख्यालय को वापस करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–संबंधित सूडा / डूडा)

शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व अन्य मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना

- जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध धनराशि के 70 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं समरूप भौतिक प्रगति उपलब्ध कराते हुए द्वितीय किस्त हेतु प्रस्ताव अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

- विभिन्न परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की गयी प्रथम एवं द्वितीय किस्त की धनराशि के उपयोग के संबंध में निर्धारित प्रारुप 42–I के प्रारुप "क" एवं "ख" पर गुणवत्ता/विशिष्टियॉ/उपयोगिता प्रमाण पत्र की सूचना अवश्य उपलब्ध कराये जाने के निर्देश बैठक में दिये गये। **(कार्यवाही–संबंधित डूडा)**

सबके लिये आवास (शहरी)–

योजना कियान्वयन की प्रकिया में होने के दृष्टिगत निम्नलिखित आवश्यक निर्देश दिये गये:–

- सभी एजेन्सी के माध्यम से नियुक्त विशेषज्ञो एवं समस्त परियोजना अधिकारियों से मण्डलवार/जनपदवार सर्वे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी तथा निदेर्शिति किया गया कि जिन जनपदों की प्रगति निर्धारित मानक से कम है, वे शीघ्र कार्य में तेजी लाना सुनिश्चित करें।
- सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे विशेषज्ञो के साथ जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय निकाय के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बैठक कराकर योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें तथा बैठक की सूचना से मुख्यालय को भी सूचित करें।
- सभी जनपद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निगरानी समिति की बैठक शीघ्र अयोजित कराकर मुख्यालय को सूचित करे।
- बैठक में उपस्थित चयनित्र संस्था के कन्सलटेन्टस् को निर्देशित किया गया कि दिनांक 31.03.2017 तक लगभग 300 डी0पी0आर0 तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, उक्त कार्य में सम्बन्धित डूडा के परियोजना अधिकारियों से भी आपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाएं।

जनसुनवाई (आई0जी0आर0एस0) –

समीक्षा बैठक में **आई0जी0आर0एस0** प्रणाली के अन्तर्गत जनपदों– आगरा, अलीगढ, बदायूँ, गाजियाबाद, हाथरस, कासगंज, लखीमपुर–खीरी, पीलीभीत, रामपुर, शाहजहॉपुर, इलाहाबाद, औरैया, बाराबंकी, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली के परियोजना अधिकारियों को जनसुनवाई से सम्बन्धित अन्तरित/लम्बित प्रकरणों को एक सप्ताह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(DAY-NULM))

बैठक में परियोजना अधिकारियों को मिशन के मूल उद्देश्यों की तरफ इंगित करते हुए संवेदित किया गया कि वित्तीय वर्ष समाप्ति में केवल एक माह बचे है जिसके दृष्टिगत सभी को युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए प्रत्येक दशा में लक्ष्यों को पूर्ण करना आवश्यक है। दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक SM&ID के अन्तर्गत आवंटित विभिन्न लक्ष्यों की शहरवार समीक्षा की गई जिसमें पाया गया कि SHG गठन में आयोजित बैठक में प्रतिभाग करने वाले 56 शहरों में से केवल 12 शहर यथा **शामली, बिजनौर, एटा, जी0बी0 नगर, सम्भल, पीलीभीत, मथुरा, मुज्जफरनगर, हाथरस, सीतापुर, मैनपुरी** एवं **प्रतापगढ़** में ही लक्ष्य पूर्ण किया गया है/किये जाने की सम्भावना प्रतीत होती है क्योंकि इन शहरों की प्रगति 78% से 100% तक है, जबकि 14 शहरों यथा **फिरोजाबाद, बदायूँ, अमरोहा,**

गाजियाबाद, रामपुर, बुलन्दशहर, आगरा, बागपत, लोनी, चित्रकूट, फतेहपुर, ललितपुर, हमीरपुर एवं बाराबंकी द्वारा 50% से 70% तक ही प्रगति की गई है। शेष निम्नलिखित शहरों के SHG गठन कार्य पर गहरा असन्तोष व्यक्त किया गया:-

क्रम सं.	जिले का नाम	शहर का नाम	समूह गठित करने हेतु लक्ष्य	31st जनवरी तक गठित किये गए समूहों की संख्या	लक्ष्य के सापेक्ष भौतिक प्रगति का(%)
1	FIROZABAD	FIROZABAD	220	107	48.64
2	GHAZIABAD	GHAZIABAD	600	287	47.83
3	SAHARANPUR	SAHARANPUR	250	119	47.60
4	BULANDSHAHR	KHURJA	50	23	46.00
5	KAUSHAMBI	MANJHANPUR	50	22	44.00
6	SAMBHAL	SAMBHAL	80	35	43.75
7	UNNAO	UNNAO	65	28	43.08
8	ETAWAH	ETAWAH	95	40	42.11
9	BAGPAT	BAGPAT	50	21	42.00
10	RAEBARELI	RAEBARELI	70	28	40.00
11	MEERUT	MEERUT	475	180	37.89
12	AURAIYA	AURAIYA	50	18	36.00
13	KANPUR NAGAR	KANPUR NAGAR	1015	363	35.76
14	JHANSI	JHANSI	135	45	33.33
15	LAKHIMPUR KHERI	LAKHIMPUR KHERI	55	17	30.91
16	BANDA	BANDA	55	16	29.09
17	ALLAHABAD	ALLAHABAD	425	115	27.06
18	SHAHJAHANPUR	SHAHJAHANPUR	120	30	25.00
19	LUCKNOW	LUCKNOW	1030	248	24.08
20	BAREILLY	BAREILLY	330	72	21.82
21	KANPUR DEHAT	AKBARPUR	50	10	20.00
22	HARDOI	HARDOI	70	13	18.57
23	MAHOBA	MAHOBA	50	9	18.00
24	HAPUR	HAPUR	95	15	15.79
25	MORADABAD	MORADABAD	320	38	11.88
26	ALIGARH	ALIGARH	320	35	10.94
27	KASGANJ	KASGANJ	50	5	10.00
28	JALAUN	ORAI	70	7	10.00
29	FARRUKKHABAD	FARRUKKHABAD	100	7	7.00
30	KANNAUJ	KANNAUJ	50	0	0.00

SHG गठन की उक्त शहरों की सघन समीक्षा की गयी, प्रगति अपेक्षा के अनुरूप न पाये जाने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया तथा कड़े निर्देश दिये गये कि CMMU डूडा द्वारा सन्दर्भ संस्थाओं के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक एवं दैनिक समन्वयन के माध्यम से युद्ध स्तर पर कार्य करके प्रत्येक दशा में लक्ष्यों को पूरा किया जाय।

SM&ID घटक के अन्तर्गत निर्गत किये गये RF अवमुक्त की समीक्षा में पाया गया कि बागपत, बड़ौत, बुलन्दशहर, खुर्जा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, हापुड़, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, 'रामपुर, सहरानपुर, शाहजहॉपुर, औरैया, बांदा, बाराबंकी, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, हरदोई, जालौन, कन्नौज, ललितपुर एवं सीतापुर शहरों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में अभी तक गठित स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड किसी भी SHG को अवमुक्त नही किया गया है, जबकि सभी शहरों में विगत वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में गठित SHG, RF की अहर्ता की श्रेणी में आते है। RF अवमुक्त नहीं किये जाने की स्थित पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए सभी इम्पैनल्ड संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा परियोजना अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार सभी क्रियाशील एस0एच0जी0 को तत्काल रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि चूंकि उल्लिखित शहरों में मतदान हो चुका है इसलिए RF अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार तत्काल प्रारम्भ की जाये।

समीक्षा में निम्नलिखित शहरों के सम्मुख उल्लिखित शहरों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में एस0एच0जी0 गठन के उपरान्त अमरोहा, बदायूँ, बागपत, बड़ौत, बुलन्दशहर, खुर्जा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मोदीनगर, गाजियाबाद, लोनी, हापुड़, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मेरठ, मुज्जफरपगर, रामपुर, सहारनपुर, सम्भल, शाहजहॉपर, इलाहाबाद, औरैया, बांदा, नवाबगंज, चित्रकूट, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, उरई, झांसी, कन्नौज, कानुपर देहात–अकबरपुर, कौशाम्बी– मंझनपुर, महोबा, रायबरेली, सीतापुर एवं उन्नाव में ALF गठन शून्य पाये जाने की स्थित को गम्भीरता से लेते हुए कड़े निर्देश दिये गये कि सभी शहर संदर्भ संस्थाओं के माध्यम से युद्ध स्तर पर तेजी से कार्य करते हुए अपनी प्रगति सुधारे अन्यथा उनके एवं शहरों हेतु नामित सन्दर्भ संस्थाओं के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उक्त के साथ ही इस घटक के अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता कैम्पों के आयोजन में भी 25 शहरों यथा अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बड़ौत, बुलन्दशहर, खुर्जा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, सम्भल, चन्दौसी, शाहजहॉपुर, बांदा, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, कन्नौज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, रायबरेली एवं सीतापुर तथा व्यक्तिगत बचत खाता खुलवाने में 17 शहरों यथा अमरोहा, बागपत, बड़ौत, खुर्जा, हाथरस, कासगंज, लखीमपुर खीरी, सम्भल, चन्दौसी, शामली, बांदा, फर्रुखाबाद, जालौन, कन्नौज, महोबा, प्रतापगढ़ एवं सीतापुर की प्रगति शून्य पाये जाने पर गहरा असन्तोष व्यक्त किया गया तथा निर्देशि दिये गये कि सभी परियोजना अधिकारी घटक के अन्तर्गत आवंटित सभी लक्ष्यों/गतिविधियों की सघन समीक्षा कर लक्ष्यों की प्रगति सुनिश्चित कराये। FLC के आयोजन में RBI के निर्देशों के क्रम में लीड बैंक से सहयोग लेकर लक्ष्य पूर्ण करे तथा प्रधानमंत्री जनधन योजनान्तर्गत NULM लाभार्थियों के बैंकों में खाता खुलवाकर रिपोर्ट करें इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी।

गठित SHG के सभी सदस्यों की तत्काल प्रशिक्षण पूर्ण कराने के साथ ही समन्वयन के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनश्री बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं माइक्रोफाइन्नेंस का लाभ भी DAY-NULM के लाभार्थियों को दिलवाना सुनिश्चित करें क्योंकि इन सभी गतिविधियों की रिपोर्टिंग भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप के माध्यम से प्रत्येक माह की जाती है जिसमें अधिकांश शहरों से इन गतिविधियों में शून्य प्रगति परिलक्षित होने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई है जिसे गम्भीरता से लेकर तत्काल प्रगति सुधारने के निर्देश दिये गये।

इस घटक के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) की प्रगति पर भी असन्तोष व्यक्त करते हुए सभी PO's को संवेदित किया गया कि CLC को आत्मनिर्भर बनने में संचालन संस्था के साथ–साथ PO की अहम भूमिका है, जिसके दृष्टिगत आवश्यक है कि सभी PO's जनपदों में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–374/2016/771/69–1–2016–14(56)/2016 दिनांक 20.05.2016 के अनुक्रम में विभिन्न विभागों से समन्वयन CLC को कार्य दिलाकर शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने

की दिशा में तेजी से कार्य करें। CLC को नगरीय निकायों से भी आउटसोर्स वाले कार्य दिलाये ताकि शहरी गरीबों को रोजगार मिल सके।

समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश शहरों द्वारा CLC की नियमित मासिक आख्या प्रेषित नही की जा रही है जिसे गम्भीरता से लेते हुए नियमित मासिक आख्या SMMU सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिये गये।

मेरठ, आगरा, हापुड़, लखीमपुर, मुज्जफरनगर एवं शाहजहॉपर में CLC स्वीकृत के लगभग एक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी तक संचालित न किये जाने पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए तत्काल संचालन के कड़े निर्देश दिये गये। परियोजना अधिकारी लखीमपुर द्वारा अवगत कराया गया है भवन की उपलब्धता न हो पाने के कारण डूडा के निजी कार्यालय को अपग्रेड किये जाने का प्रस्ताव सूडा में विगत कई माहों से लम्बित है जिसके स्वीकृतोपरान्त ही CLC का संचालन सम्भव हो पायेगा। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि संबंधित पटल द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत हेतु तत्काल प्रस्तुत कराया जाय। परियोजना अधिकारी संबंधित पटल से पत्रावली प्रस्तुत करने में सहयोग करें। उक्त के साथ ही निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः–

1. आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने की रणनीति बनाते हुए लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने हेतु तेजी से युद्ध स्तर पर कार्य किया जाये।
2. प्रत्येक सप्ताह एस0एम0एम0यू0 सूडा द्वारा शहरों से वार्ता कर प्रगति समीक्षा की जाय तथा उन शहरों में जहॉ राज्य स्तर पर कुछ प्रगति के औसत से कम प्रगति है पर विशेष ध्यान देकर लक्ष्य पूर्ण किये जाने की कार्यवाही की जाय तथा उक्त कार्यवाही की प्रगति पत्रावली पर प्रस्तुत की जायेगी।
3. जिन स्वयं सहायता समूहों की क्रियाशीलता 3 माह की पूर्ण हो गयी हो तथा समूह पंचसूत्र की अवधारणा पर कार्य कर रहे हों उन्हें तत्काल रिवाल्विंग फण्ड निर्गत कर दिया जाये।
4. स्वयं सहायता समूहों हेतु आवश्यक है कि नियमित साप्ताहिक बैठक का आयोजन कराया जाये तथा समूह में आपसी लेन–देन की आदत का विधिवत विकास किया जाये तथा समूहों को स्वावलम्बन एवं आर्थिक विकास हेतु नियमित प्रेरित किया जाये।
5. समूहों के बैंक में खाते खोलने में आ रही समस्याओं को जिला स्तर पर होने वाली जिला स्तरीय बैंकर्स कमिटी की बैठक में रखा जाये तथा प्रयास यह किया जाये कि उक्त बैठक में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा के समक्ष समस्याओं का समाधान कराया जाये विशेष परिस्थितियों में समस्या का समाधान न होने की स्थिति में उक्त समस्या को कार्यवृत्त में अभिलेखीकृत किये जाने पर बल दिया जाये जिससे उक्त कार्यवृत्त को संज्ञान में लेते हुए राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में चर्चा कर समस्या का समाधान कराया जा सके। उक्त के साथ ही SHG के बैंको में खाता खोले जाने हेतु SLBC द्वारा विगत 21.02.2017 को सभी अग्रणी बैंको को निर्गत पत्र की प्रति भी इस आशय से उपलब्ध करायी गयी कि उस पत्र के सन्दर्भ में बैंको में तत्काल खाते खुलवाये जाये।
6. इम्पैनल्ड संस्थाओं को अनुबन्ध के अनुसार सूडा द्वारा निर्गत पत्र संख्या–966/241/NULM/तीन/2001(SM&ID)–II दिनांक 22.12.2016 के अनुक्रम में बिना विलम्ब के तत्काल भुगतान सुनिश्चित कराया जाये।
7. इस घटक की MIS पर प्रगति असन्तोषजनक पाये जाने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई तथा निर्देशित किया गया कि CMM द्वारा MIS पर शत–प्रतिशत प्रगति अपलोड की जाय इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी तथा CMM का किये जाने वाले अप्रैजल में MIS की प्रगति का आधार भी सम्मिलित किष जायेगा। उक्त के साथ ही कड़े निर्देश दिये गये कि रिपोर्टेड सभी स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों के विवरण

एम0आई0एस0 पर अपलोड हेतु सी0एम0एम0यू0, डूडा सन्दर्भ संस्थाओं से सभी सदस्यों के सम्पूर्ण विवरण एक्सेल शीट में तत्काल प्राप्त कर अपलोड करें यदि किसी सन्दर्भ संस्था द्वारा ससमय विवरण नही उपलब्ध कराया जा रहा है तो त्वरित नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

8. स्वयं सहायता समूहों के बैंको में खाता खोलने अथवा बैंक लिंकेज में आ रही समस्याओं के निदान हेतु जिला स्तर पर लीड बैंक के सहयोग से डी0एम0 की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठकों में आ रही समस्या विशेष एवं बैंक विशेष के सम्बन्ध में चर्चा कर समस्या का समाधान कराया जाये एवं विशेष परिस्थितियों में विस्तृत विवरण एवं बैंक विशेष से आ रही समस्याओं का उल्लेख करते हुए बैक एवं ब्रान्चवार समस्याओं के समाधान हेतु प्रकरण एस0एम0एम0यू0 सूडा को भी संदर्भित किया जाये ताकि राज्य स्तर पर एस0एल0बी0सी0 की बैठक में उक्त समस्या रखते हुए समस्या समाधान की दिशा में कार्यवाही करायी जा सके।

9. निर्देश दिये गये कि सभी सन्दर्भ संस्थाओं से शहरों को आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु युद्ध स्तर पर कार्य कर विकेन्द्रीकृत रणनीति के आधार पर CRP के माध्यम से प्रत्येक दशा में लक्ष्यों को पूर्ण किया जाय। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि फरवरी माह से भारत सरकार द्वारा निर्धारित MPR प्रारुप में शहरों में कार्यरत CRP की संख्या तथा बुक कीपर्स की संस्था का उल्लेख भी किया जाना अपरिहार्य कर दिया गया जिसके दृष्टिगत आवश्यक है सभी शहरों में मानकों के अनुसार CRP एवं बुक कीपर्स के आकड़े तत्काल सन्दर्भ संस्था से प्राप्त कर लें।

इस घटक के अन्तर्गत अन्त में निर्देश दिये गये कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के दृष्टिगत CMMU डूडा सन्दर्भ संस्थाओं के माध्यम से संशोधित दिशा निर्देशों के अनुक्रम में बेहतर तालमेल से युद्धस्तर से कार्य करे । प्रत्येक दशा में लक्ष्य पूरा करें तथा प्रगति को MIS पर अपलोड करे।

EST&P- दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(DAY-NULM) के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार(EST&P) के अन्तर्गत सभी शहरों को निम्नवत् निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया:–

1. प्रशिक्षणार्थियों के सेवायोजन हेतु रोजगार उत्सव/सेवायोजन मेलों का आयोजन किया जाये। इस संबंध में जारी पत्रांक–786/241/एनयूएलएम/तीन /2001(EST&P)-Vol-II, दिनांक 13.10.2016 एवं पत्रांक–932/241/एनयूएलएम /तीन/2001(EST&P), दिनांक 09.12.2016 के अनुसार अनिवार्य रूप रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

2. असेसिंग बाडीज को लंबित भुगतान को अतिशीघ्र जारी किया जाये एवं भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये बिलों को समय से जारी किया जाये।

3. प्रमाण पत्र प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों का सेवायोजन हेतु समयबद्ध तरीके से कार्यवाही करते हुए उनको सेवानियोजित किया जाये ताकि लक्ष्यों के सापेक्ष अनिवार्य न्यूनतम 50 प्रतिशत सेवानियोजित सुनिश्चित किया जा सके।

4. बागपत, शिकोहाबाद, ललितपुर, कौशाम्बी, औरैया, हरदोई, कन्नौज, बांदा, फर्रूखाबाद, इटावा एवं मैनपुरी को निर्देशित किया गया कि RDAT कानपुर/एन0एस0डी0सी0 से

समन्वय करते हुए शीघ्र ही प्रमाण पत्रों को प्राप्त करें और एम0आई0एस0 पर तत्काल अपलोड करायें।

5. खुर्जा, कासगंज, संभल, शामली, ललितपुर, मंझनपुर, औरैया, हरदोई, बाराबंकी, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, इलाहाबाद, बांदा, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रतापगढ़, सीतापुर, फर्रूखाबाद, हमीरपुर, इटावा, जालौन एवं मैनपुरी को सख्त निर्देश दिये गये कि एम0आई0एस0 पर अपलोड प्रमाण पत्रों के सापेक्ष अनिवार्य रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों का सेवायोजन कराते हुए एम0आई0एस0 पर अपलोड किया जाये।

6. मथुरा, लोनी, बुलंदशहर, पीलीभीत, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बदायूँ, एटा, बिजनौर, मोदीनगर, संभल, बड़ौत, हाथरस, लखीमपुर, मुरादाबाद, शाहजहॉपुर, अमरोहा, दादरी(जी0बी0नगर), फिरोजाबाद, ललितपुर, मंझनपुर, औरैया, हरदोई, बाराबंकी, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, इलाहाबाद, बांदा, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रतापगढ़, सीतापुर, फर्रूखाबाद, हमीरपुर, इटावा, जालौन एवं मैनपुरी को निर्देशित किया गया कि सेवायोजन के कार्य में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करते हुए अपेक्षित प्रगति लाई जाये।

SEP – दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अन्तर्गत सभी शहरों द्वारा व्यक्तिगत एवं समूह में ऋण उपलब्ध कराये जाने की प्रगति असंतोषजंनक पायी गयी। SEP(I) के अन्तर्गत (एटा, बागपत, सम्भल, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, मोदीनगर, शामली, मथुरा, बिजनौर, अमरोहा, हाथरस, सम्भल, हमीरपुर, चित्रकूट, कानपुर देहात, कौशाम्बी, कन्नौज, मैनपुरी, ललितपुर, औरैया, प्रतापगढ़, उन्नाव, बांदा, जालौन एवं फतेहपुर) जनपदों द्वारा 50.56% तक लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति की गई है। सहारनपुर, बुलन्दशहर, कासगंज, जी0बी0 नगर, बदायूँ, फिरोजाबाद, बागपत, रामपुर, हापुड़, मुज्जफरपगर, आगरा, रायबरेली, सीतापुर, महोबा, हरदोई, बाराबंकी, इटावा एवं फर्रुखाबाद अंकित जनपदों द्वारा 33.86% तक प्राप्ति की गई है जो स्टेट द्वारा प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष है। शाहजहॉपुर, गाजियाबाद, शिकोहाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद–लोनी, बुलन्दशहर–खुर्जा, बरेली, कानपुर नगर, झांसी, लखनऊ एवं इलाहाबाद) जनपदों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष 21.85% से 5.78% तक प्राप्त की गई है जो स्टेट द्वारा प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष काफी कम है। **लखनऊ एवं इलाहाबाद** जनपदों को विशेष रुप से निर्देशित किया जाता है कि वह 20 मार्च, 2017 तक प्रत्येक दशा लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करायें अन्यथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

SEP(G) के अन्तर्गत (बिजनौर, सम्भल, शामली, बदायूँ, लखीमपुर खीरी, बुलन्दशहर, सम्भल, शाहजहॉपुर, मेरठ, सहारनपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, मैनपुरी, औरैया, फतेहपुर, ललितपुर, उन्नाव, कानपुर नगर, इलाहाबाद एवं लखनऊ) जनपदों को छोड़कर शेष (आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बरेली, बुलन्दशहर, एटा, फिरोजाबाद, जी0बी0 नगर, गाजियाबाद, लोनी, मोदीनगर, हापुड़, हाथरस, कासगंज, मथुरा, मुरादाबाद, मुज्जफरनगर, पीलीभीत, रामपुर, कानुपर देहात–अकबरपुर, बांदा, बाराबंकी, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, झांसी, कन्नौज, महोबा, कौशाम्बी–मंझनपुर, जालौन–उरई, प्रतापगढ़, रायबरेली एवं सीतापुर) जनपदों द्वारा स्टेट मिशन द्वारा प्राप्त लक्ष्य के विपरीत शून्य लक्ष्य प्राप्त किया गया है। सभी जनपदों को निर्देशित किया जाता है कि वह 20 मार्च, 2017 तक प्रत्येक दशा में लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित कराये।

मुद्रा योजना के अन्तर्गत बैंको द्वारा स्वीकृत किये गये ऋण को SEP कम्पोनेन्ट में समायोजित करने हेतु निर्धारित प्रारुप पर सूचना संरक्षित करके, उसे नियत प्रारुप पर फार्म भरवाकर आवश्यक औपचारिकताए पूर्ण कराके बैंको को स्वीकृत करने हेतु प्रेषित किया जाए। तदोपरान्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया

जाता है कि वह साप्ताहिक समीक्षा करके, उसकी प्रगति आख्या, मेल के माध्यम से कम्पोनेन्टवार मिशन मुख्यालय को प्रत्येक सप्ताह उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराए।

SUH:– (1) दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के अन्तर्गत लखनऊ के पल्टन छावनी, जियामऊ, लक्ष्मण मेला, कानपुर नगर के चुन्नीगंज, भैरवघाट, शिवली रोड, लाला लाजपत राय अस्पताल के निर्माण कार्य पूर्ण हाने के बारे में आवगत कराया गया। ऐसे आश्रय गृहों को तत्काल हस्तगत कराया जाय और इस कार्यालय के पत्र सं0– 551/241/NULM /तीन/2001(SUH)Vol-IV दिनांक 28.07.2016 द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप अपेक्षित कार्यवाही करते हुए यथाशीघ्र क्रियाशील किया जाय। उनके संचालन और प्रबन्धन के लिए धनराशि अवमुक्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय और नगर विकास विभाग के शासनादेश सं0– 3964/नौ–7–16–98(जनरल)/2016 दिनांक 28 जून 2016 के प्राविधानों के अनुरूप आश्रय का संचालन और प्रबन्धन किया जाय।

(2) निरीक्षण करने पर कानपुर नगर के लाला लाजपत राय अस्पताल आश्रय में शहरी बेघरों के उपयोगार्थ आश्रय गृहों में उपलब्ध कराई गई सामग्रियां और उपकरण अधोमानक पाये गये हैं, जिसके सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0– 123/241/NULM/तीन /2001(SUH)Vol-IV दिनांक 07.02.2017 द्वारा आश्रयों में उपलब्ध कराई गई सामग्रियों और उपकरणों की जांच हेतु सम्बन्धित जनपद के सी0पी0ओ0, परियोजना अधिकारी तथा सिटी मिशन मैनेजर की एक समिति भी गठित की गई है। सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा अवगत कराया गया कि लाला लाजपत राय अस्पताल के आश्रय में डी0पी0आर0 में प्राविधानित मानक और गुणवत्ता के अनुरुप सामग्री और उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) अवगत कराया गया कि परियोजना अधिकारियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने हेतु अनावश्यक विलम्ब किया जाता है, निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें या तो उपलब्ध नहीं करायी जाती या अपूर्ण सूचनायें भेजी जाती हैं। प्रारूप के कई कॉलम खाली छोड़ दिये जाते हैं अथवा अन्य अपेक्षित अभिलेख संलग्न नही किये जाते। कुछ परियोजना अधिकारियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र डूडा कार्यालय में प्राप्त करा दिये जाते हैं जबकि इसे पर्यटन भवन, गोमती नगर स्थित राज्य शहरी आजीविका मिशन कार्यालय में प्राप्त कराना चाहिए। निर्देशित किया गया कि उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लिया जाय और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से सम्बन्धित पत्र आदि सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त पर्यटन भवन स्थित राज्य शहरी आजीविका मिशन कार्यालय में उपलब्ध कराये जायें।

(4) इस कार्यालय के पत्र सं0– 098/241/NULM/तीन/2001(SUH)Vol-IV दिनांक 25.01.2017 द्वारा अपेक्षित मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित याचिका सं0– 55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में नगरों में पूर्व से विद्यमान आश्रय गृहों में मानक के अनुरूप सुविधायें/सेवायें उपलब्ध कराने के विषय में निर्धारित प्रारूप पर मांगी गई सूचनायें अभी तक अप्राप्त है। इसे शीर्ष प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाय और मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अधीन गठित समिति के भ्रमण के समय पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाये।

(5) इस कार्यालय के पत्र संख्या– 157/241/NULM/तीन/2001(SUH)Vol-IV दिनांक 23.02.2017 द्वारा प्रत्येक जनपद में निर्माणाधीन/निर्मित आश्रयों में उपयोग में लाये जाने वाली विभिन्न सामग्रियों और उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्रय समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक स्थिति में सामग्रियों और उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये।

SUSV:– दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के अन्तर्गत जिन 14 नगरीय निकायों में पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण और सिटी स्ट्रीट वेंडिंग प्लान तैयार करने के लिए एजेन्सी का चयन पूर्व में ही किया जा

चुका है। उनमें पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, उन्हें पथ विक्रय प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जारी कराना, वेंडिंग जोन का निर्धारण आदि कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर अधिकतम 26 सप्ताह में अपेक्षित कार्यवाही करते हुए डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान (डी0आई0पी0) प्रस्तुत किया जाना था। अभी तक किसी नगर निगम द्वारा उक्त कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है।

अलीगढ़ द्वारा सिटी स्ट्रीट वेंडिंग प्लान प्रस्तुत किया गया था जो पूर्णतया अपूर्ण था उसे अपेक्षित निर्देशों के साथ वापस किया जा चुका है। **यह स्पष्ट किया जाता है कि सिटी स्ट्रीट वेंडिंग प्लान पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय का विनियम) अधिनियम 2014 की धारा 21 तथा उसकी पहली अनुसूची के अनुक्रम में लिपिबद्ध किया जाय। इसे अधिनियम 2014, उ0प्र0 पथ विक्रय योजना 2016, कार्यदायी संस्था के साथ किये गये अनुबन्ध और गाइडलाइन्स के प्राविधानों के अनुरूप बनाया जाय।** सम्बन्धित **नगरीय निकाय द्वारा इस पथ विक्रय योजना (CSVP) को शासन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।**

अधिनियम 2014 तथा शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना के अन्तर्गत जिन 21 नगर पालिका क्षेत्रों में शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता (SUSV) के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यों को सम्पन्न करने का निर्णय लिया गया था, उनमे से दिनांक 20.02.2017 की बैठक में लोनी, मथुरा, बुलन्दशहर, बरेली और उन्नाव की स्वीकृति राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 18.11.2016 में दी जा चुकी है किन्तु कार्य में कोई प्रगति नहीं आई है। सम्भल मे पुनः निविदा के निर्देश दिये गये हैं। शेष नगर पालिका क्षेत्रों में कोई कार्यवाही नहीं की गई प्रतीत होती है। इसे तत्परता और गम्भीरता से पूर्ण कराया जाय।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 5479/110/तीन/97 Vol-VII दिनांक– 03/3/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक